संख्या-22/2018-725/58-2018-343/2016

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2018**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-789-01-0109-पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन की योजना में रू0-110.34 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-301-02/बजट/2017-18, दिनांक 15.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20.11.2017 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के उद्यान शाखा के अन्तर्गत पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन योजना में भारत सरकार कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के पत्र सं0-21-22/2017-आर0एफ0एस0-3 दिनांक 05.10.2017 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-630.00 लाख (रूपये-छः करोड़ तीस लाख) मात्र के सापेक्ष रू0-110.34 लाख (रूपये-एक करोड़ दस लाख चौतीस हजार) मात्र की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :-

अनुदान सं0-83

लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन (के060/रा040-के0 +रा0)

(धनराशि लाख रूपये में)

कोड सं0/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान (अनुपूरक मांग सहित)	पूर्व में अवमुक्त	अवमुक्त हेतु अवशेष	अवमुक्त की जा रही धनराशि
27-सब्सिडी	2450.43	716.55	1733.88	98.88
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	17.33	4.60	12.73	11.46
योग-	**2467.76**	**721.15**	**1746.61**	**110.34**

(रूपये- एक करोड़ दस लाख चौतीस हजार मात्र)

(1) पर ड्राप मोर क्राप माइक्रोइरीगेशन योजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश सं0-15/2017-1843/58-2017-429/2015 दिनांक 12.07.2017 में निर्धारित नवीन फण्डिंग पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश राज्यांश निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जायेगा :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	कृषक की श्रेणी/कार्यक्रम	केन्द्रांश की धनराशि	राज्यांश की धनराशि	अतिरिक्त राज्यांश	कुल धनराशि
1	लघु सीमान्त	21.76	14.50	23.07	59.33

http://shasanadesh.up.nic.in

2	अन्य कृषक	13.35	8.90	17.30	39.55
	योग-27-सब्सिडी	35.11	23.40	40.37	98.88
	44-प्रशिक्षण	6.88	4.58	0.0	11.46
	कुल योग-	**41.99**	**27.98**	**40.37**	**110.34**

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शत प्रतिशत भारत सरकार का अंश निहित होगा। तदनुसार केन्द्रांश/राज्यांश की अनुदान धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय नियमानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहॉ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में धनराशि के व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृत की गयी है।

(7) ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान करने के सम्बन्ध में डी0बी0टी0 की प्रक्रिया निम्नवत अपनायी जायेगी :-

i वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम-आवक प्रथम-पावक के सिद्वान्त पर चयनित कर लाभान्वित किया जायेगा।

ii योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/स्थापना का कार्य निजी श्रोत से भुगतान करते हुए शासकीय अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से बैंक खाते/ऋण खाते में अन्तरित की जायेगी।

iii लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निजी श्रोत से नहीं दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी0डी0सी0) सम्बन्धित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स को हस्तगत कराकर किया जा सकता है।

iv लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे की संतोषजनक रिपोर्ट एवं निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से डी0बी0टी0 प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

(8) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में यह प्राविधान है कि केन्द्र पोषित वाहय सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्भी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि का मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से योजना के लिए जारी मार्गदर्शक सिद्वान्तों (गाइड लाइन्स) के अनुसार स्वीकृतियॉ जारी की जायेंगी। प्रश्नगत योजना पर उपरोक्तानुसार केन्द्रांश/राज्यांश टापअप सहित दिये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(11) निर्माता फर्म द्वारा लाभार्थी कृषक के खेत में स्थापित संयंत्र 3 वर्ष तक फ्री सेल सर्विस की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(12) योजना पर किये गये व्यय के संबंध में मासिक विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराये जाय।

(13) इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन-27-सब्सिडी-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के अन्तर्गत् उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश सं0-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक 20.11.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-22/2018-725(1)/58-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(2) संयुक्त सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार नई दिल्ली।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) निदेशक कृषि विभाग कृषि भवन लखनऊ।
(5) बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(6) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in